Faridabad Plot Built
Properties in all Sectors
SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11,
Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 25 अंक 6 फरीदाबाद, बुधवार, 1-15 फरवरी 2012 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

‘शिक्षा का अधिकार’ कानून : एक धोखा

शिक्षा व्यापारियों से उलझने की अपेक्षा सरकार अपने स्कूलों को सुधारे

फ़रीदाबाद (म.मो.) ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून लागू होने के बाद शिक्षा निदेशालय निजी स्कूलों से तरह-तरह की जानकारियां ऑन लाइन मांग रहा है। अधिकांश स्कूलों ने मांगी गई जानकारियां नहीं दी हैं। शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त सुरीना राजन ने निजी स्कूलों को 31 जनवरी तक जानकारी देने की छूट प्रदान कर दी है। निजी स्कूलों को शिक्षा निदेशालय को ऑन लाइन जानकारी देने के अलावा ज़िला शिक्षा अधिकारी को हार्ड कॉपी भी देनी होगी जिसका सत्यापन ज़िला शिक्षा अधिकारी स्वयं करेंगे।

दरअसल, यह सब एक नाटकबाज़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। शिक्षा निदेशालय निजी स्कूलों से जो जानकारियां हासिल करना चाह रहा है, वह उसके पास पहले से ही उपलब्ध होनी चाहिए। यदि ये नहीं हैं तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेवारी तय करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानूनन हर शिक्षा व्यापारी को प्रति वर्ष ज़िला शिक्षा अधिकारी को देनी होती है। इन सूचनाओं को दबाये रखने के लिए शिक्षा अधिकारी मोटी ‘फ़ीस’ वसूलते हैं।

‘शिक्षा का अधिकार’ लागू होने के बाद यह सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है कि वह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य तौर पर मुफ़्त शिक्षा प्रदान करे। सरकारी शिक्षा तंत्र बदहाल अवस्था में है जबकि हरियाणा सरकार स्कूली शिक्षा पर 7400 करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रही है। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 27 लाख है। इस हिसाब से प्रति बच्चा साढ़े सताइस हज़ार वार्षिक खर्च हो रहा है। यह राशि कोई कम नहीं है। प्रायः सभी स्कूलों में बेंच-डेस्क सहित तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

‘शिक्षा का अधिकार’ लागू होने के बाद यह सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है कि वह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य तौर पर मुफ़्त शिक्षा प्रदान करे। सरकारी शिक्षा तंत्र बदहाल अवस्था में है जबकि हरियाणा सरकार स्कूली शिक्षा पर 7400 करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रही है। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 27 लाख है। इस हिसाब से प्रति बच्चा साढ़े सताइस हज़ार वार्षिक खर्च हो रहा है। यह राशि कोई कम नहीं है। प्राय: सभी स्कूलों में बेंच-डेस्क सहित तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। निजी स्कूल भी प्रति बच्चा इससे ज़्यादा राशि शायद ही खर्च करते हों, पर उनके यहां सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं, यह अलग बात है कि वे बच्चों से अधिक फ़ीस लेकर मुनाफ़ाखोरी करते हैं, पर यह तो उनका घोषित एवं सरकार द्वारा स्वीकृत उद्देश्य है। इसके लिए वे ज़मीन खरीदने से लेकर मान्यता हासिल करने तक राज्य के शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा निदेशालय व सीबीएसई के न जाने कितने अफ़सरों-कर्मचारियों को मोटा चढ़ावा चढ़ाते हैं और तब जाकर उन्हें शिक्षा का कारोबार करने की अनुमति मिलती है। कहने की जरूरत नहीं है कि सरकारी शिक्षा विभाग मुनाफ़ाखोरी के लिए नहीं हैँ, उसके बावजूद शिक्षा पर खर्च होने वाली भारी-भरकम रकम जा कहां रही है ? सर्वविदित है कि सरकार शिक्षा पर जितना खर्च दिखाती है, उसका अधिकांश सरकारी मशीनरी खुद ही खा जाती है। स्कूलों की दशा सुधारने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। परिणामत: इस भीषण ठंड में भी विद्यार्थियों को बेंच-डेस्क कौन कहे, बैठने के लिए टाट तक नसीब नहीं हो पाती।

जहां तक राज्य में कुल 27 लाख बच्चों के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के पढ़ने का आंकड़ा है, यह संख्या कुछ ज़्यादा ही है। वास्तव में, सरकारी स्कूलों में 20 लाख बच्चों से ज़्यादा नहीं पढ़ते। देहाती क्षेत्रों के शिक्षक अपनी नौकरी बचाये रखने के लिए विद्यार्थियों के फ़र्ज़ी आंकड़े तैयार करते रहते हैं।

शेष पेज 2 पर

अंबाला दुर्घटना से नहीं लिया कोई सबक

फ़िर एक स्कूली बस हुई हादसे की शिकार

पानीपत (म.मो.) लगता है कि अंबाला में हुई सड़क दुघर्टना में 12 बच्चों की मौत से प्रशासन एवं शिक्षा-व्यापारियों ने कोई सबक नहीं लिया है। अगर सबक लिया होता तो महज 19 दिन बाद 21 जनवरी को बीआरएसके इंटरनेशनल स्कूल सफीदो की बस दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षिकाओं समेत 45 सवारियां बैठी थीं। यह तो संयोग की बात है कि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई, पर लगभग दो दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये। वैसे एक बड़े हादसे का पूरा इंतज़ाम तो यह था ही जिसमें अनेकों जानें जा सकती थीं।

बहरहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, पर यह मामला परले दर्जे की लापरवाही का है। बस के ड्राइवर द्वारा बीच रास्ते में स्टेयरिंग अपने अप्रशिक्षित लड़के को पकड़ा देना और बस से उतर कर चला जाना यह साबित करता है कि उसे न तो स्कूल प्रबंधन का कोई भय था और न ही पुलिस-प्रशासन का। आश्चर्य की बात यह भी है कि जब ड्राइवर अपने लड़के को बस की स्टेयरिंग पकड़ा रहा था तो उसे ऐसा करने से किसी ने रोका क्यों नहीं ? यह ठीक है कि बच्चे इस बात को समझने में असमर्थ थे कि एक अप्रशिक्षित लड़के द्वारा बस चलाने का अंजाम क्या हो सकता है, पर बस में बैठी शिक्षिकायें तो यह समझ सकती थीं। आख़िर उन्होंने बस चालक को बीच रास्ते में उतरने क्यों दिया ? अगर वह उतरने पर अड़ा ही हुआ था तो उन्होंने फ़ोन से इसकी सूचना स्कूल प्रबंधकों को क्यों नहीं दी अथवा 100 नंबर डायल कर पुलिस को इसके बारे में क्यों नहीं बताया ? क्या स्कूली बच्चों से भरी बस एक अप्रशिक्षित लड़के द्वारा चलाये जाने का अंजाम क्या हो सकता है, इससे वे अपरिचित थीं ? ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया नहीं या फ़िर उनकी अपनी नौकरी भी कच्ची-पक्की रही होगी जिन्हें शिक्षा-व्यापारी बोलने का कोई हक नहीं देते। इसका अंजाम तुरंत सामने आया। अगर बस ड्राइवर को अपनी ड्यूटी अधूरी छोड़ जाना जरूरी ही था तो इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को सूचित किया जाना चाहिए था और जब तक कोई दूसरा प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं आ जाता, स्कूल बस को रोके रखा जाना चाहिए था।

खास बात यह भी है कि अगर स्कूल का प्रशासन सख़्त होता तो ड्राइवर बीच राह में बस की स्टेयरिंग अपने लड़के को पकड़ाने की हिमाकत नहीं कर पाता। स्पष्ट है कि बस संचालन के मामले में स्कूल प्रबंधन का रवैया ढीला-ढाला है जिसका परिणाम उक्त दुर्घटना है। सवाल यह भी है कि क्या रास्ते में पुलिस को भी एक लड़के द्वारा स्कूली बस चलाना नज़र नहीं आया जबकि अंबाला दुघर्टना के बाद प्रशासन स्कूल बसों के संचालन के प्रति काफ़ी चौकसी बरतने का दावा कर रहा है। पर लगता है कि पुलिस-प्रशासन का यह दावा पूरी तरह झूठा है, क्योंकि अगर पुलिस वास्तव में चौकस होती तो यह दुघर्टना हर्गिज नहीं होती, क्योंकि बस के ड्राइवर ने नारा पुलिस नाके पर ही अपने बेटे को स्टेयरिंग थमाया था। इस दुघर्टना से यह साबित होता है कि शिक्षा-व्यापारी सुधरने वाले नहीं हैं और न ही पुलिस। ऐसी हालत में बसों अथवा अन्य वैध-अवैध वाहनों से स्कूल जाने वाले बच्चों की जान की सुरक्षा सिर्फ़ भगवान के ही हाथों में है।

सूचना अधिकार कानून का गला घोंटने में जुटी सरकार

फ़रीदाबाद (म.मो.) जिस आरटीआई एक्ट (सूचना का अधिकार कानून) को लागू करने का श्रेय लेने हेतु कांग्रेसी नेता बढ़-चढ़ कर बयानबाज़ी करने में जुटे हैं, उसी कांग्रेस की हरियाणा सरकार इस एक्ट का गला घोंटने में पूरे जोर-शोर से जुटी है। राज्य के अधिकांश दफ़्तरों के अधिकारी कोई सूचना देने की जरूरत नहीं समझते और चंडीगढ़ में बैठे सूचना आयोग के आयुक्त भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते।

दिनांक 03.06.11 को ज़िला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ‘मज़दूर मोर्चा’ ने निम्नलिखित सूचनायें मांगी थी :

1. जिले में कुल कितने सरकारी स्कूल हैं ?
2. प्रत्येक स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं ?
3. प्रत्येक स्कूल में कुल कितने अध्यापक/प्राध्यापक तथा अन्य स्टाफ़ है ?
4. प्रत्येक स्कूल में कितना स्टाफ़ कम या फ़ालतू हैं ?
5. डाइट पाली में कितना स्टाफ़ कम या फ़ालतू है ?
6. स्कूलों में नियुक्त किए गए कितने अध्यापक/प्राध्यापक या अन्य स्टाफ़ स्कूलों की अपेक्षा कहीं और काम पर लगे हैं ? वे कहां-कहां व कब से वहां लगे हैं ?

पूछताछ करने पर पता चला कि राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त सेवा निवृत आईएएस अधिकारी नरेश गुलाटी हैं। दिनांक 24.01.12 को टेलिफ़ोन पर इस सारे मामले से उनको अवगत कराया गया तो उन्होंने अपने सहायक को मामले की जांच करने को कहा।
करीब एक घंटे बाद सहायक ने फ़ोन पर बताया कि उन्होंने फ़ाइल देख ली है और संबंधित सुपरिंटेंडेंट को समझा दिया गया है तथा शीघ्र ही उचित कार्यवाही शुरु कर दी जायेगी। उसको इस बात के लिये भी हड़काया गया कि इतना छोटा-सा पत्र लिखने में 46 दिन का समय कैसे और क्यों लगा ?

लेकिन जब दो माह तक भी कोई जवाब नहीं आया तो दिनांक 08.08.11 को इस बाबत प्रथम अपील ज़िला शिक्षा अधिकारी को दी गयी। तीन माह तक यहां भी किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी तो दिनांक 30.11.11 को इस बाबत एक अपील राज्य सूचना आयुक्त को की गयी।

नियमानुसार इस अपील के साथ मूल रूप से मांगी गयी सूचना, 50 रुपये की रसीद व प्रथम अपील की प्रतियां संगलगित की गयी थी। इसके जवाब में 06.01.12 को सूचना आयोग की ओर से एक पत्र क्रमांक 436 16.01.12 को प्राप्त हुआ।

एक सुपरिंटेंडेंट द्वारा हस्ताक्षरित पांच लाइन के इस पत्र में बताया गया कि मामला आयोग के सामने रखा गया जिस पर आयोग ने कहा है कि मांगी गयी सूचना, फ़ीस की रसीद तथा दायर की गयी प्रमि अपील तथा उनके द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रति भेजें। आयोग द्वारा 46 दिनों के बाद भेजे गये इस पत्र को पढ़ कर लगा कि हरियाणा सरकार ने सूचना आयोग के नाम पर नालायक और निकम्मे लोग़ों का जमावड़ा लगा रखा है जिनका एकमात्र काम करदाता के पैसे पर ऐश व हरामखोरी करना है।

पूछताछ करने पर पता चला कि राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त सेवा निवृत आईएएस अधिकारी नरेश गुलाटी हैं। दिनांक 24.01.12 को टेलिफ़ोन पर इस सारे मामले से उनको अवगत कराया गया तो उन्होंने अपने सहायक को मामले की जांच करने को कहा।

करीब एक घंटे बाद सहायक ने फ़ोन पर बताया कि उन्होंने फ़ाइल देख ली है और संबंधित सुपरिंटेंडेंट को समझा दिया गया है तथा शीघ्र ही उचित कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। उसको इस बात के लिये भी हड़काया गया कि इतना छोटा-सा पत्र लिखने में 46 दिन का समय कैसे और क्यों लगा ?